सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री चाँदमल वर्मा, आर.ए.एस.)

प्रकरण स : 11/2017(प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO: 2017/00021

अनवान

1. श्री तख्ता पिता गांगा भील, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
2. श्री जेता पिता पेमा भील, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
3. श्री नाना पिता उदा भील, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
4. श्री रामा पिता चेना भील, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
5. श्री नवा पिता चोखा भील, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
6. श्री नारू पिता हरजी भील, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
7. श्री भूरा पिता हिरा भील, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
8. श्री दला पिता पन्ना भील, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
9. श्री भीमा पिता वेणा भील, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
10. श्री गमना पिता गोपा भील, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
11. श्री उमा पिता लाला भील, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
12. श्री पारू पिता लाडू मेघवाल, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
13. श्री मोहन पिता भजा मेघवाल, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
14. श्री बाबू पिता वरदा मेघवाल, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
15. श्री बाबू पिता उमा मेघवाल, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
16. श्री फतहसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
17. श्री जालमसिंह पिता रतनसिंह राजपूत, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
18. श्री चन्दनसिंह पिता सवसिंह राजपूत, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
19. श्री दोलतसिंह पिता प्रेमसिंह राजपूत, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
20. श्री पदमसिंह पिता देवीसिंह राजपूत, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
21. श्री भंवरसिंह पिता हीरसिंह राजपूत, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
22. श्री हरिसिंह पिता प्रेमसिंह राजपूत, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
23. श्री बाबूसिंह पिता सरदारसिंह राजपूत, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
24. श्री नवलसिंह पिता फूलसिंह राजपूत, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
25. श्री जवानसिंह पिता दोलतसिंह राजपूत, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
26. श्री लालू पिता केशा भील, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
27. श्री मनोहरसिंह पिता भेरूसिंह राजपूत, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
28. श्री लच्छा पिता कालू भील, निवासी मादा वजाजी का वास, तह.गोगुन्दा, जिला उदयपुर
29. श्री पदाराम पिता लखमा भील, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
30. श्री गंगाराम पिता गेगा भील, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर

31. श्री धनराज पिता जगन्नाथ सुथार, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
32. श्री हेमा पिता रोडा भील, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
33. श्री वरदा पिता हमेरा भील, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
34. श्री दलपतसिंह पिता हमेरसिंह राजपूत, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
35. श्री किशनसिंह पिता भजयसिंह राजपूत, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
36. श्री चेनसिंह पिता देवीसिंह राजपूत, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
37. श्री राजा पिता माइग भील, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर

— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री दीता पिता धन्ना भील, निवासी मलारिया कला, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर

— विपक्षी

उपस्थित

1. श्री गिरजाशंकर मेहता, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता विपक्षीगण

अपील प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

*** निर्णय ***

दिनांक : 06-02-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि मौजा मादा पटवार हल्का छाली, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर में आराजी नम्बर 2488 रकबा 16.0500 हेक्टेयर किस्म बीड भूमि को प्रार्थीगण एवं ग्राम मादा के सभी निवासीयान अपने पशुओ के घास चराई हेतु उपयोग में लेते रहे है। उक्त सम्पूर्ण आराजी अकृषि योग्य होकर केवल पशुओं के घास चराई हेतु उपयोग में ली जाती रही है। उक्त आराजीयात के अलावा ग्राम मादा में पशुओं हेतु कोई चारागाह भूमि नहीं है। इसी वजह से ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि के चारों ओर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराया गया तथा ग्राम मादा के निवासीयान के निवेदन पर वर्ष 2008–09 में ग्राम पंचायत छाली द्वारा रतनजोत आदि पेड़ भी लगाये जाकर उक्त भूमि को ग्राम वासियान द्वारा अघोषित चारागाह के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है। उक्त भूमि को चारागाह भूमि घोषित करने हेतु भी ग्राम पंचायत व पंचायत समिति एवं तहसीलदार आदि को ग्रामवासियान द्वारा लिखित रूप से निवेदन किया गया। उक्त आराजी नम्बर 2488 रकबा 16.0500 हेक्टेयर भूमि पर किसी भी व्यक्ति का आज दिनांक तक न तो कब्जा है न ही किसी व्यक्ति द्वारा कृषि कार्य किया गया है फिर भी बिना किसी विधिवत घोषणा के उक्त आराजीयात में से 0.6000 हेक्टेयर भूमि को दिनांक 20.06.2003 को जरिये मिसल नम्बर 220/2003 द्वारा विपक्षी को गैर कानूनी तरीके से आवंटन कर आराजी नम्बर 2899/2488 रकबा 0.6000 हेक्टेयर भूमि डाल दी गयी है। उक्त तथ्यों की बिना जानकारी किये विपक्षी ने राजस्व अधिकारियों से

मिलीभगत कर कागजों में ही भूमि का आवंटन कर लिया गया है तथा मौके पर किसी भी आवंटी को कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया है एवं न ही किसी आवंटी द्वारा आज दिनांक तक नियमों के अनुरूप कृषि कार्य किया है। इसी वजह से तथाकथित आराजी एवं रकबा की पेमुदगी आज दिनांक तक नक्शा ट्रेस पर नही की गयी है। कब्जे के अभाव में उक्त आवंटन स्वतः निरस्तनीय है। यदि विपक्षी को आवंटित आराजीयात का आवंटन निरस्त नहीं किया जाता है तो प्रार्थीगण एवं समस्त ग्रामवासियान मादा को अपूरणीय क्षति होगी क्योकि उक्त आराजी के अलावा ग्राम मादा के किसानों के मवेशीयों के गोचर हेतु अन्य भूमि नहीं है। विपक्षी ग्राम मादा के निवासी न होकर अन्य गांव मलारियाकला के निवासी है। जिनका उक्त भूमि से कभी कोई सरोकार नहीं रहा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी को आवंटित उक्त आराजीयात का आवंटन निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता ने वकालात पत्र पेश कर प्रकरण में जवाब हेतु समय चाहा। प्रकरण में जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अधिवक्ता विपक्षी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत न करने से प्रकरण में जवाब बन्द किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार गोगुन्दा से विवादित आराजी पर मौके की रिपोर्ट मंगवायी गई। तहसीलदार गोगुन्दा ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2017/851 दिनांक 31.10.2017 से प्रकरण में प्रेषित मौका रिपोर्ट में इस न्यायालय को अवगत कराया है कि मौजा मादा के आराजी नम्बर 2899/2488 रकबा 0.6000 हेक्टेयर किस्म बीड़ विपक्षी के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकर्ड है। मौके पर ग्राम पंचायत मादा द्वारा चार दिवारी बनायी जाकर रतनजोत के पौधे लगे हुये है साथ ही जलग्रहण द्वारा चेकडेम बनाये हुये है। उपस्थित मोतबिरान एवं वादी ने बताया कि हर वर्ष ग्राम के पशु उक्त आराजीयात पर चराये जाते है परन्तु इस वर्ष खातेदार द्वारा रास्ता बन्द कर दिया गया है। मौके पर प्रतिवादी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए है। तहसीलदार से मौका प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा से आवंटन से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 220/2003 तलब की जाकर प्रकरण में बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व विपक्षी के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 20.06.2003 को निरस्त करने की मांग करते हुए विवादित आराजीयात का ग्रामवासियान मादा द्वारा भूमि की किस्म बीड होकर कृषि योग्य न होना, विपक्षी का अन्य गांव का होकर मौके पर कब्जा न होना, भूमि का पशुओं की चराई हेतु अघोषित चारागाह में उपयोग में आना, आवंटित आराजी की नक्शा ट्रेस पर न होना, आवंटन शर्तो की पालना न होना, मिसप्रजेन्टेशन होना एवं मिलीभगत से आवंटन करने से कथित आवंटन को अवैध एवं शून्य बताते बताया एवं इन्ही आधारो पर कथित आवंटन को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया एवं ग्राम पंचायत मादा द्वारा दिनांक 25.05.2018 को जारी प्रमाणीकरण की प्रति न्यायालय के समक्ष पेश की। जिसमें ग्राम पंचायत मादा द्वारा आराजी संख्या 2488 रकबा 16.0500 हेक्टेयर

भूमि पर वर्ष 2008 में बाउण्ड्रीवाल, धोरा का निर्माण कार्य करवाया जाना जिसमें राशि 7,97,000/–रू. व्यय होना एवं वर्ष 2009 में दिनांक 27.04.2009 को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राशि 2,03,000/–रू. द्वारा 10 हेक्टेयर भूमि पर रतनजोत वृक्षारोपण कार्य किया जाना एवं उक्त भूमि का पशु चराई हेतु काम में लिया जाना एवं किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से कब्जा न होना अपने प्रमाणीकरण में जाहिर किया है।

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा ने बहस में भाग लेते हुए स्पष्ट किया कि विपक्षी को उक्त आराजीयात का आवंटन वर्ष 2003 मे हुआ हैं एवं इस तथ्य की जानकारी प्रार्थीगण को होते हुए भी उनके द्वारा आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र जानबुझकर वर्ष 2017 मे इतने समय पश्चात् प्रस्तुत किया हैं। आवंटन मे किसी प्रकार मिसप्रजेन्टेशन नहीं हुआ है। आवंटन से पूर्व विपक्षी भूमिहीन काश्तकार थे। वक्त आवंटन आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण था एवं विधिवत विपक्षी को उक्त आवंटित भूमि का कब्जा सुपुर्द किया गया हैं एवं आवंटन शर्तो की पालना करने से ही उक्त भूमि पर विपक्षी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त आवंटन निरस्ती के प्रार्थना पत्र को सुनने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं हैं। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट में भी विपक्षी का कब्जा उक्त आराजीयात पर होना पाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी को परेशान करने एवं जमीन से बेदखल करने का प्रयास करने से विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा में वाद अन्तर्गत धारा 188, 92–ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् दर्ज कराया गया है। जिसमें उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा द्वारा स्थगन जारी किया गया है। अतः प्रार्थीगण एवं विपक्षी के अधिकार उक्त वाद में ही तय होने है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर विपक्षी के नाम उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया गया आवंटन बहाल रखा जावे। विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :–

- 2018 (2) RRT 1007
- 2016-17 (Supp.) RRT 271

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र, उपखण्ड अधिकारी से प्राप्त आवंटन पत्रावली, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया एवं उन पर गंभीरता से मनन किया। प्रकरण में विवाद विपक्षी को आवंटित आराजी जिसके हाल आराजी संख्या 2899/2488 रकबा 0.6000 हेक्टेयर का है। आवंटन पत्रावली संख्या 220/2003 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी द्वारा आवेदन करने पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की जांच के उपरान्त आवंटन कमेटी की राय के आधार पर विपक्षी को उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर विधायक, विकास अधिकारी, प्रधान, तहसीलदार आदि के हस्ताक्षर हो अध्यक्ष के रूप में प्रभारी अधिकारी (भू–आवंटन/नियमन) पंचायत समिति गोगुन्दा के भी हस्ताक्षर मौजूद है, जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त आवंटन सलाहकार समिति की पूर्ण राय के आधार पर हुआ है। आवंटन के पश्चात् कब्जा सुपुर्दगी रिपोर्ट में कब्जा प्राप्तकर्ता के रूप में विपक्षी संख्या 1 के हस्ताक्षर पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक एवं गवाहान की उपस्थिति में मौजूद है। इसके

अतिरिक्त तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट को आवंटित आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट का ही कब्जा होना पाया गया है तथा जहां तक प्रकरण मे ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि पर वाउण्ड्रीवाल बनाया जाना, रतनजोत का पौधारोपण किया जाना व चेकडेम बनाये जाने का प्रश्न है। इस संबंध मे किसी भी खातेदार की भूमि पर वृक्षारोपण कराया जाना एवं चेकडेम निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना विधिसम्मत नहीं हैं, फिर भी यदि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य कराया गया है, तो इसके लिये ग्राम पंचायत स्वयं उत्तरदायी है। उक्त आवंटित आराजीयात को चारागाह घोषित करने के लिये कोई कार्यवाही पूर्व मे की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं एवं न ही इस बाबत् तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट मे कोई उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त विवादित आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं एवं खातेदारी अधिकार आवंटन शर्तो की पालना किये जाने के फलस्वरूप ही प्रदान किये जाते है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त 14(4) की कार्यवाही जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। उक्त विवेचन के आधार पर किसी खातेदार के आवंटन को निरस्त कर भूमि से बेदखल करना हम न्यायोचित नहीं समझते है। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण मे चस्पा होते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा मौजा मादा, तहसील गोगुन्दा की साबिक आराजी संख्या 2488 रकबा 16.0500 हेक्टेयर मे से 0.6000हे. भूमि पर प्रभारी अधिकारी (भू–आवंटन/नियमन) पंचायत समिति गोगुन्दा द्वारा मिसल नम्बर 220/2003 से विपक्षी के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 20.06.2003 को यथावत रखा जाता हैं। प्रार्थीगण यदि चाहे तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में चाराजोही के लिये स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(चाँदमल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर